न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी :—देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 137 / 2017

उनवान

इसराईल पुत्र अब्दुल रहमान जाति मुसलमान निवासी अजबा का बाडिया
—— वादी :— जरियें अधिवक्ता श्री मसूद परवेज

बनाम

1. नसरूद्दीन पुत्र बशीर,
2. सुवा पत्नी बशीर,
3. शमीम पुत्र नसरूद्दीन,
4. साजिद पुत्र नसरूद्दीन,
5. माजिद पुत्र नसरूद्दीन,
6. वाजिद पुत्र नसरूद्दीन जाति मुसलमान निवासी ग्राम अजबा का बाडिया,
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :— 1 से 6 अनुपस्थित, 7 जरियें राज. पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: निर्णय :— दिनांक :— 10/9/24

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम अजबा का बाडिया के हाल खसरा नम्बर 286 / 0.06, 292 / 0.06, 294 / 0.05 की आराजी वादी की कदीम से चली आ रही है। वादी उक्त आराजी पर कृषि करता रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 खसरा नम्बर286 पर जबरन हल चला कर फसल काश्त करने पर आतुर है। तथा आराजी मुतनाजा पर कब्जा करने पर आमादा है। अतः प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलबव किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 बावजूद तामीली अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा वादी की एकल खातेदारी में दर्ज हैं प्रतिवादीगण सह खातेदार नही है।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :—

1. आया वादी वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी कब्जा शुदा खातेदारी भूमि होने से खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है ?
—— वादी
2. आया वादी वादग्रस्त आराज पर विरूद्ध प्रतिवादी स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ?
—— वादी
3. अनुतोष ?

——2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:29:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा वादी का शपथ पत्र पेश किया।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :-

तनकी संख्या 1 व 2 :-

ग्राम अजबा का बाड़िया के हाल खसरा नम्बर 286/0.06, 292/0.06, 294/0.05 की आराजी वादी की एकल खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण को कोई हक व अधिकार निहित नही है। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। राज. पैरोकार ने वाद का खण्डन नही किया है। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी करने का कोई विधिक अधिकार नही है। उनके द्वारा वादी की खातेदारी आराजी पर बिना किसी कारण के दखलदांजी की जाती है तो वादी के हित प्रभावित होते है। आराजी मुतनाजा वादी की एकल खातेदारी की है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज से वाद के कथनों की ताईद होती है। वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम अजबा का बाड़िया के हाल खसरा नम्बर 286/0.06, 292/0.06, 294/0.05 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा पर वादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी नही करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:29:47 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

इसराईल बनाम नसरूददीन

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि० 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 137/2017
पेश करने की दिनांक – 06.10.2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक मुद्दई मसूद परवेज अभिभाषक राज० पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम अजबा का बाडिया के हाल खसरा नम्बर 286/0.06, 292/0.06, 294/0.05 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा पर वादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी नही करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक—— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 10 माह 9 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बावत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:29:47 IST
Reason: SelfAttested